नरसिंह बनाम पवन कुमार

दिनांक 24–01–2022

पत्रावली पुकार पर पेश। वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग पर एकपक्षीय रुप से सुना। प्रार्थना पत्र 7 ग वादी द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ के बावत शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को विवादित संपत्ति के बावत पूर्णतया स्ट्रैजर होने का कथन किया गया है। प्रार्थना पत्र 7 ग के माध्यम से वादी द्वारा प्रकरण में अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा फर्द सबूत 10 ग के माध्यम से खतौनी 11 ग, छायाप्रति परिवार रजिस्टर 12 ग, राजस्व मैप की प्रतिलिपि 13 ग, नकल आदेश, वादपत्र व डिक्री सुलहनामा न्यायालय सिविल जज गोरखपुर वाद सं0 192/1993 कागज सं० 14 ग व छायाप्रति बैनामा कागज सं० 17 ग दाखिल किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के अन्त मे दर्शित विवादित सम्पत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ के बावत एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों मे वादसंपत्ति के संरक्षण एवं विवाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रुप से यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष वादपत्र के अन्त मे दर्शित विवादित अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ के बावत नियत तिथि तक यथास्थिति कायम रखेंगे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी त्वरित पैरवी करे। यथास्थिति का आदेश अग्रिम तिथि पर यथोचित आधार पाये जाने पर ही अग्रसारित किया जायेगा। यथास्थिति का आदेश केवल पक्षकारों पर प्रभावी होगा। वादी आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करे तथा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करे कि प्रार्थना पत्र 7 ग के निस्तारण हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहेगा। वास्ते आपत्ति निस्तारण 7 ग दिनांक 24–02–2022 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)

बांसगाँव, गोरखपुर

दिनांक 24–01–2022

प्रार्थना–पत्र 9 ग पर सुना, स्वीकृत। वादी पैरवी अन्दर 3 दिन करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करे।

सिविल जज (जू०डि०)

बांसगाँव, गोरखपुर